तारीख हुक्म	प्रकरण संख्या 14/2025 बद्री पिता मेघा माली बनाम अरूण जैन, पीठासीन अधिकारी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.02.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। सहायक कलक्टर, भीलवाडा के पत्र कमांक 319 दिनांक 10.02.2026 से टिप्पणी प्राप्त होकर शामिल मिसल है। टिप्पणी में अंकित तथ्यों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के वाद संख्या 611/2025 तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 308/2025 में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार होने प्रार्थी का वाद व प्रार्थनापत्र खारीज किया जा चुका है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 611/2025 तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 308/2025 खारीज हो जाने से उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाने की कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम करे। (जसमीत सिंह संधू) जिला कलक्टर भीलवाड़ा	